

कार्यालय प्राचार्य

सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय विदिशा

अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग छात्रवृत्ति योजना

संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना

1.एसी./एस.टी :- अनुसूचित जाति/जन जाति विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

संस्था द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के आवेदनों की जॉच कर प्रोसेस की कार्यावाही की जाती है। छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत करना एवं भुगतान करना संबंधित विभाग मध्यप्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है।

छात्रवृत्ति आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज हैं। दस्तावेज स्पष्ट होना चाहिए
प्रथम वर्ष

1. एक नवीन फोटो
2. संस्था में फीस जमा करने की रसीद की छायाप्रति
3. संस्था परिचय पत्र (लायब्रेरी आई.डी.) की छायाप्रति
4. आधार कार्ड की छाया प्रति
5. परिवार समग्र आई.डी. की छायाप्रति
6. राष्ट्रीयकृत बैंक में विद्यार्थी खाता होना चाहिए की छायाप्रति (प्रायवेट बैंक मान्य नहीं होगे)
7. पिता का आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति
8. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति
9. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
10. मूल टी.सी. की छायाप्रति (डुप्लीकेट टी.सी. मान्य नहीं होगी)
11. कक्षा 10 वीं उर्त्तीण की अंक सूची एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययन किया है तो सभी की अंक सूचीयों की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है यदि गेफ है तो नोटरी द्वारा सपथ प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
12. **T F W** कोटे से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र नहीं हैं।
13. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन के साथ सिर्फ कक्षा 10 वीं की अंक सूची एवं टी.सी प्रमाण नहीं लगाना है।
14. परिवार की बार्षिक आय :- 800.000 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोट :- सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन ऑन लाइन एम.पी.टॉस पोर्टल पर आवेदन किया जाता है।